कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2048 / FP/UK/ROAD/11569/2015 :देहरादून:दिनांक:03 फरवरी, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से तुरकोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.588 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(On line Proposal No FP/UK/ROAD/11569/2015)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/107/2015/एफ.सी./79 दिनांक 16–04–2019.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2063/12–1(2) (संलग्नक–1) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1100 वृक्षों के रोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 13,31,00.00 (रू0 तेरह लाख इकत्तीस हजार) की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 4,96,860.00 (रू0 चार लाख छियानब्बे हजार आठ सौ साठ) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी, की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई 1100 वृक्षों के रोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि ऑनलाईन कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। ऑन–लाईन paid status की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation किये जाने की बचनबद्धत्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में जियो रैफरेन्स मैप एवं सर्वे ऑफ इण्डिया का मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण पर वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 3/2/21
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या :–2048/FP/UK/ROAD/11569/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा।

(हस्ताक्षर) 3/2/21
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

97c